अजमेर

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज० प्रा० पत्र स्वीकार 30/11/18

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर

विजयसिंह रावत पुत्र श्री कालूसिंह । बनाम राज० सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर ।

किस्म मुकदमा बाज० प्रा० पत्र नम्बर 357 सन् 18 (अजमेर)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री भींयाराम चौ० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.11.18	यह प्रार्थना पत्र श्री भींयाराम चौधरी एड़वोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 28.11.2018 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने से प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस बताया कि न्यायालय के समक्ष पेशी पर बरवक्त आवाज प्रार्थीगण के अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में बहस में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकें तथा जब मान्नीय न्यायालय में उपस्थित हुए तो बताया गया कि उक्त प्रकरण अदम हाज़री एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। उपरोक्त कारण से प्रार्थीगण के अधिवक्ता की न्यायालय में बरवक्त आवाज अनुपस्थिति सद्भाविक थी। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि न्यायहित में प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया जा़कर अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश देना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता हैं एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावें। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	